International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में सोशल मीडिया एवं वैधानिक नियम व चुनौतियां

अखिलेश यादव

शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सारांश

यह इंटरनेट का युग है और भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में उछाल देखा गया है। पिछले पांच वर्षों में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2023 में करीब 80 करोड़ हो गई है। इसका एक बहुत ही अनौपचारिक लेकिन सटीक उदाहरण यह है कि कुछ साल पहले यूट्यूब वीडियो पर व्यूज हासिल करना एक कठिन काम था, लेकिन अभी, यह सिर्फ एक वीडियो अपलोड करने की बात है और लाखों आंखें इसे देखने और बनाने का इंतजार कर रही हैं। देखे जाने की संख्या नए रिकॉर्ड तक पहुंची। जिस तरह भारत में इंटरनेट/तकनीक-प्रेमी आबादी बढ़ी है, उसी तरह इंटरनेट से संबंधित कानूनी मुद्दे भी चिंताजनक दर से बढ़े हैं। हर दूसरे दिन, हमें डेटा के ऑनलाइन उल्लंघन, कॉपीराइट मुद्दे, डेटा की हानि, उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के लिए खतरा और न जाने क्या-क्या से संबंधित कुछ समाचार देखने को मिलते हैं। इस शोध पत्र के माध्यम से आइए सोशल मीडिया में कानूनी चुनौतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां समझते हैं।

भारत में सोशल मीडिया से संबंधित नियम:

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मुख्य मुद्दा वह स्वतंत्रता है जो यह अपने उपयोगकर्ताओं को देता है। उपयोगकर्ताओं को दी गई स्वतंत्रता की डिग्री अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इसके दुरुपयोग से कई कठिनाइयां पैदा होती हैं। साथ ही कई बार ये उपयोगकर्ता फेस लेस होते हैं, और उनका मानना होता है कि वे बिना किसी विश्वसनीयता के सोशल मीडिया पर कुछ भी कह सकते हैं और बच सकते हैं। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल सबसे बड़ी समस्या में से एक है. दुनिया भर में कई सोशल मीडिया साइटों का उपयोगकर्ता आधार लगभग 3.8 बिलियन से अधिक है। भारी भीड़ के कारण कई मीडिया प्लेटफार्मों पर बड़ी मात्रा में सामग्री पोस्ट और साझा की जाती है। परिणामस्वरूप, फर्जी समाचार और

अन्य सूचनाएं ऐसे प्लेटफार्मों पर बहुत गति पकड़ती हैं, और सार्वजनिक आक्रोश, अशांति और सांप्रदायिक दंगों के कई मामले
सामने आए हैं।

सोशल मीडिया पर 'हेट स्पीच' की समस्या

विभिन्न एसएम प्लेटफार्मों और तकनीकी दिग्गजों ने सामुदायिक दिशानिर्देशों और सामग्री प्रबंधन नीतियों की स्थापना करके घृणास्पद भाषण से लड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों ने उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसी सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए घृणास्पद भाषण और टूल पर स्पष्ट रूप से रोक लगाने वाली नीतियां पेश की हैं। हालाँकि, इन नीतियों को लागू करना एक कठिन प्रयास है जिसके लिए अक्सर संदर्भ, इरादे और सांस्कृतिक बारीकियों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इन प्लेटफार्मों की सीमा-पार प्रकृति के कारण, सोशल मीडिया पर घृणास्पद भाषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। सरकारों, संगठनों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के बीच सहयोग सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए नफरत भरे भाषण से निपटने के लिए वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं की स्थापना में सहायता कर सकता है। सोशल मीडिया के उदय ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को खुद को अभिव्यक्त करने और सार्वजनिक बहस में पहले से कहीं अधिक खुले तौर पर शामिल होने की अनुमति मिली है। दूसरी ओर, ऑनलाइन घृणास्पद भाषण का प्रसार एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जिसके लिए उपयुक्त नियामक ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है। घृणास्पद भाषण को परिभाषित करना कठिन है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रवचन शामिल हैं जो भेदभाव को प्रोत्साहित करते हैं, हिंसा भड़काते हैं, या व्यक्तियों या हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाते हैं। मुक्त भाषण की रक्षा करने और घृणास्पद भाषण के नकारात्मक परिणामों को कम करने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने के लिए विस्तृत कानूनों और नियामक नियमों की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर नफरत भरे भाषण को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका अभी भी विवादास्पद है। जबकि कुछ लोग स्पष्ट कानूनी मानदंडों को स्थापित करने और लागू करने के लिए सक्रिय सरकारी भागीदारी का आह्वान करते हैं, अन्य लोग स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए स्वयं प्लेटफार्मों द्वारा स्व-नियमन के महत्व पर जोर देते हैं। एक समावेशी, विनम्र और सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भागीदारी और प्लेटफ़ॉर्म संप्रभुता के बीच सही संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग

आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017-18 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 2,245 आपत्तिजनक सामग्रियों के

मिलने की शिकायत की गई थी जिनमें से जून 2018 तक 1,662 सामग्रियाँ हटा दी गईं थीं। उल्लेखनीय है कि इनमें ज़्यादातर वह सामग्री थी जो धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। इस अल्पावधि में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री का पाया जाना यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया के ज़रिये ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को अलग रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है बल्कि आज़ादी के सूत्रधार रहे नेताओं के बारे में भी गलत जानकारी बड़े स्तर पर साझा की जा रही है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रसार कुछ प्रमुख उभरते जोखिमों में से एक है। यकीनन यह न केवल देश की प्रगति में रुकावट है, बल्कि भविष्य में इसके खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। अतः आवश्यक है कि देश की सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए इसे पूरी तरह रोकने का प्रयास करना चाहिये।

मौजूदा सोमल मीडिया और फेक न्यूज॰ संबंधी नियम-कानून उल्लेखनीय है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटॉम्म पहले हे ही हुंड्र प्रोद्योगिकी(IT) अे दायरों में आते हैं मौजूदा कानूनों के तहत यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या कानून प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा किसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग तंत्र भी मौजूद हैं, जो यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई सामग्री सामुदायिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रही है या नहीं और यदि वह ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है।

विदित हो कि भारत में फेक न्यूज़ को रोकने के लिये कोई विशेष कानून नहीं है। परंतु भारत में अनेक संस्थाएँ हैं जो इस संदर्भ में कार्य करती हैं।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी ही नियामक संस्था है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और उनके संपादकों को उस स्थिति में चेतावनी दे सकती है यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) निजी टेलीविजन समाचार और करेंट अफेयर्स के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है एवं उनके विरुद्ध शिकायतों की जाँच करता है।

ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (BCCC) टीवी ब्रॉडकास्टरों के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी कंटेंट और फर्ज़ी खबरों की शिकायत स्वीकार करती है और उनकी जाँच करती है।

निजता का अधिकार बनाम सोशल मीडिया विनियमन

सोशल मीडिया विनियमन के कई समर्थकों का मानना है कि देश की अखंडता और गरिमा को बनाए

रखने के लिये इस प्रकार के कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। साथ ही यह भी सच है कि बीते कुछ वर्षों में सोशल पर हेट स्पीच, फेक न्यूज़ और राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। दूसरी ओर इस कदम के विरोधियों का मानना है कि यदि सोशल मीडिया का विनियमन कर आधार को प्रोफाइल से जोड़ा जाता है तो इससे नागरिकों की निजता का अधिकार प्रभावित होगा, जो कि संविधान के अनुकूल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ निजता का अधिकार भी प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ के बहुचर्चित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के अपने निर्णय में निजता को मौलिक अधिकार माना था, परंतु यह भी कहा कि यह अधिकार निरंकुश और असीमित नहीं है।

सोशल मीडिया और भारत

सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है। आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत में तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूज़र हैं और अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2023 तक यह संख्या लगभग 447 मिलियन तक पहुँच की संभावना है। वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय उपयोगकर्त्ता औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं।

इसी रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के उपयोगकर्त्ता सोशल मीडिया का सबसे अधिक (औसतन 4 घंटे) प्रयोग करते हैं, जबकि इस आधार पर जापान में सबसे कम (45 मिनट) सोशल मीडिया का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के कारण भी चर्चा में रहता है। दरअसल, सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बाँटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है।

भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है एवं लोगों द्वारा इस ओर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है।

सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव

कई शोध बताते हैं कि यदि कोई सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाए तो वह हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और हमे डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है।

- सोशल मीडिया साइबर-बुलिंग को बढ़ावा देता है।
- यह फेक न्यूज़ और हेट स्पीच फैलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और कई बार आपका निजी डेटा चोरी होने का खतरा रहता है। साइबर अपराधों जैसे- हैकिंग और फिशिंग आदि का खतरा भी बढ़ जाता है।
- आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का चलन भी काफी बढ़ गया है, ये लोग ऐसे सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ता की तलाश करते हैं जिन्हें आसानी से फँसाया जा सकता है।

सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है।

कॉपीराइट और डिजिटल मीडिया

भारत में कॉपीराइट कानून के अनुसार, 1957 के कॉपीराइट अधिनियम द्वारा शासित , संगीत, नाटकीय, कलात्मक या साहित्यिक कार्यों का निर्माण करने वाले रचनाकारों और ध्वनि रिकॉर्डिंग या सिनेमा के निर्माताओं को अपने काम की रक्षा करने का विशेष अधिकार है जिसे कॉपीराइट के रूप में जाना जाता है। इन अधिकारों में ऐसे निर्माता/निर्माता के काम के अनुकूलन, पुनरुत्पादन, जनता से संवाद और अनुवाद के अधिकार शामिल हो सकते हैं। जब ये सभी अधिकार एक साथ मिल जाते हैं तो कॉपीराइट का रूप ले लेते हैं, हालाँकि, ये अधिकार किस तीव्रता से लागू होंगे यह निर्माता/निर्माता के काम पर निर्भर करता है। डिजिटल मीडिया की दुनिया में, ऐसी बहुत सारी सामग्री है जिस पर उसके मालिक का कॉपीराइट हो भी सकता है और नहीं भी। यहां चिंताजनक तथ्य यह है कि चाहे कुछ काम कॉपीराइट हो या नहीं, लोग फिर भी दूसरों के काम को उठाते हैं। डिजिटल मीडिया ने ऐसे अपराधियों के लिए काम के वास्तविक मालिकों के कॉपीराइट का उल्लंघन करने का प्रवेश द्वार खोल दिया है। किसी मालिक को यह साबित करने के लिए कि उसके कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि वह उस विशेष कार्य का असली मालिक है और दायित्व की पहचान की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है, आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हज़ारों लोगों तक पहुँचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित कर दिया है तथा इसके विनियमन की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। अतः आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किये बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर नए विकल्पों की खोज की जाए, ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जा सके।

स्रोत संदर्भ

1. https://blog.ipleaders.in/need-know-digital-media-legal-challenges-involved/
2. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-11936-the-rise-of-social-media-navigating-legal-challenges-and-societal-implications.html
3. https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/are-social-media-platforms-the-arbiters-of-truth